दिनांक- 07.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 507/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 07.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

  महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 07.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 508/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष सुभाष चन्द्र द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार व रि0म0का0 शिखा सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना अजनर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2026 धारा 137(2) बीएनएस एवं बढ़ोतरी धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त देशराज पुत्र धनीराम कुशवाहा, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम आमखेड़ा थाना ईशानगर जनपद छतरपुर (म0प्र0) को मोहनपुर तिगैला स्थित यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी थाना अजनर जनपद महोबा
2. का0 नरेन्द्र कुमार थाना अजनर जनपद महोबा
3. रि0म0का0 शिखा सिंह थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

देशराज पुत्र धनीराम कुशवाहा, उम्र करीब 21 वर्ष
निवासी ग्राम आमखेड़ा थाना ईशानगर जनपद छतरपुर (म0प्र0)

दिनांक- 07.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 509/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अवैध शस्त्र बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती बन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष प्रवीण सिंह द्वारा गठित टीम, उ0नि0 विजय कुमार मिश्र, रि0का0 आशिफ खान एवं रि0का0 नीरज गुप्ता द्वारा ग्राम बरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त विजय पुत्र अर्जुन, उम्र करीब 22 वर्ष, को एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर पर मु.अ.सं. 143/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

विजय पुत्र अर्जुन, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम बरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विजय कुमार मिश्र
2. रि0का0 आशिफ खान
3. रि0का0 नीरज गुप्ता

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

दिनांक- 07.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 510/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी व विधिक कार्यवाही पर दिया गया विशेष बल...।

आज दिनांक 07.08.2026 को जनपद महोबा की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा (नोडल अधिकारी) की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गुमशुदा/अपहृत बालक/बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी, मेडिकल परीक्षण, धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष प्रस्तुतिकरण, पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रारूप (क) एवं (ख) के अनुपालन सहित विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि—

- गुमशुदा बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- मेडिकल परीक्षण, बयान एवं CWC के समक्ष प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया समयबद्ध एवं विधिसम्मत रूप से पूर्ण की जाए।
- पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी एवं अनैतिक देह व्यापार से संबंधित मामलों में कठोर एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जाए।
- किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप (क) एवं (ख) का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
- विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।

गोष्ठी में जिला बाल कल्याण समिति महोबा, चाइल्ड लाइन महोबा, श्रम विभाग महोबा, सखी वन स्टॉप सेंटर महोबा, जिला प्रोबेशन कार्यालय महोबा, जी.आर.पी. महोबा, किशोर न्याय बोर्ड महोबा, स्वास्थ्य विभाग महोबा, अभियोजन कार्यालय महोबा के प्रतिनिधियों सहित प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, प्रभारी एसजेपीयू, प्रभारी महिला थाना एवं जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण सहित नाबालिग गुमशुदगी मामलों की जांच करने वाले अधिकारी (विवेचक) भी उपस्थित रहे।

दिनांक- 07.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 513/26

महोबा पुलिस

अर्दली रूम में विवेचनाओं की गहन समीक्षा, अपराध नियंत्रण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु सख्त निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 07.08.2026 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना कबरई तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह द्वारा थाना कुलपहाड़ में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की गई तथा उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अन्य लंबित विवेचनाएं, शिकायती प्रार्थना पत्र, IGRS प्रकरण, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज, अपहृताओं की बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, ई-समन, यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य, NCRP पोर्टल एवं विभिन्न अभियानों की प्रगति का भी बिंदुवार परीक्षण किया गया।

इस दौरान उपस्थित समस्त विवेचनाधिकारियों से उनके प्रकरणों के संबंध में बिंदुवार समीक्षा करते हुए निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक अपने-अपने प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, NBW की शत-प्रतिशत तामील एवं जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कबरई क्षेत्र एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में पैदल गश्त (फुट पेट्रोलिंग) कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई तथा व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उनके समाधान हेतु आश्वस्त किया गया।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।